न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 16 / 2021 (बांसवाड़ा डिक्री)

शान्तु पुत्र धन्ना भील, निवासी माचा, पटवार हल्का ईटाला, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. प्रकाश पुत्र दाउद भील, निवासी माचा, पटवार हल्का ईटाला, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. प्रवीण पुत्र दाउद भील, निवासी माचा, पटवार हल्का ईटाला, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. श्रीमती धूली पत्नी भील, निवासी माचा, पटवार हल्का ईटाला, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. वालु पुत्र चम्पा भील, निवासी माचा, पटवार हल्का ईटाला, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. कानजी पुत्र चम्पा भील, निवासी माचा, पटवार हल्का ईटाला, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. लालु पुत्र चम्पा भील, निवासी माचा, पटवार हल्का ईटाला, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. लालसिंग पुत्र मनोहर उर्फ मनु भील, निवासी माचा, पटवार हल्का ईटाला, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
8. विलसिंग पुत्र मनोहर उर्फ मनु भील, निवासी माचा, पटवार हल्का ईटाला, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
9. शान्तिलाल पुत्र मनोहर उर्फ मनु भील, निवासी माचा, पटवार हल्का ईटाला, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
10. मोहन पुत्र मनोहर उर्फ मनु भील, निवासी माचा, पटवार हल्का ईटाला, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
11. श्रीमती कंकु बेवा मनोहर उर्फ मनु भील, निवासी माचा, पटवार हल्का ईटाला, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
12. गलिया पुत्र चुनिया भील, निवासी माचा, पटवार हल्का ईटाला, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
13. रावजी पुत्र शान्तु भील, निवासी माचा, पटवार हल्का ईटाला, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
14. श्रीमती रमिला पत्नी रावजी भील, निवासी माचा, पटवार हल्का ईटाला, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
15. शान्तु पुत्र खीमा भील, निवासी माचा, पटवार हल्का ईटाला, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:42:26 IST
Reason: SelfAttested

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
का॰ अ॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ़ दिनांक
27.07.2021 प्रकरण सं. 00050/2017

———/———

उपस्थित :– 1– श्री समर पण्डया अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक रे.सं. 1 सं 11

———::———

निर्णय दिनांक 27–06–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 11 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की आराजी नंबर 77, 128, 129, 134, 135, 210/131 रकबा क्रमशः 2.86, 0.03, 0.76, 1.60, 2.30, 0.20 एकड़ कुल रकबा 7.75 एकड़ भूमि ग्राम माचा में स्थित है, जिस पर वादीगण का कब्जा अपने पूर्वजों के समय से चला आ रहा है, किन्तु प्रतिवादीगण ने आराजी नंबर 77 पर जबरन कब्जा कर वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी नंबर 77 पर उनका कब्जा 40–50 वर्षो से निरन्तर चला आ रहा है, वादीगण का किसी प्रकार का हक अधिकार व कब्जा नहीं है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27–07–2021 वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 17–12–2021 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 11 की ओर से अधिवक्ता श्री यशपाल गुप्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट मजदूरी हेतु बाहर चला गया, जिससे वह अपने [illegible] से सम्पर्क नहीं कर सका। जानकारी होते ही अधिनस्थ न्यायालय [illegible] व डिक्री की नकल प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी, [illegible] जानबूझकर विलम्ब नहीं किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:42:26 IST
Reason: SelfAttested

गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि तनकी नंबर 1 व 2 जिन्हें साबित कराने का भार वादीगण पर था, वादीगण साबित कराने में असफल रहे हैं, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने वाद साबित मानकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि वादीगण विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार होने से अधिनस्थ न्यायालय ने उनका वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 में अन्य आराजियात के साथ विवादित आराजी नंबर 77 रकबा 2.86 हैक्टर भूमि रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण के खातेदारी में दर्ज है, जबकि उक्त भूमि पर अपीलान्ट/प्रतिवादीगण ने अपना पिता के समय से 40–50 से कब्जा होना बताया है, जिससे अपीलान्ट/प्रतिवादीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जाना स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 27–07–2021 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 27–06–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:42:26 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.........मुकाम........**उदयपुर**............
व इजलास ....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰** ....

शान्तु पुत्र धन्ना, जाति भील, निवासी माचा, पटवार हल्का ईटाला, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा बनाम **प्रकाश पुत्र दाउद, जाति भील, निवासी माचा, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं॰......**16/2021**...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**...... .....**सज्जनगढ़**......... मुकाम................मुवर्खे.............**27**..............माह..............**07**............**2021**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........**27**....माह........**06**....सन् **2024** रूबरू.......**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री समर पण्डया**.....मिनजानिब अपीलान्ट व........**श्री यशपाल गुप्ता** ....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 27–07–2021 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**27**.......माह.......**06**..........**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:42:26 IST
Reason: SelfAttested